

पत्रांक - 14/विविध-10/2008-381(14)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

निबंधित
फैक्स/ईमेल

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के प्रधान सचिव

AS (BPS) सेवा में,

US (1)

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
पर्यावरण-एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन

1846(1)

पटना, दिनांक - 12.02.2020

विषय: भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय आरक्षी सेवा/भारतीय वन सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्त वाणिज्य कर सेवा/बिहार पुलिस सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से ऊपर) एवं अन्य (जिन्हें यह सुविधा प्रदत्त है) को वार्षिक जाँच की सुविधा सुलभ कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि बिहार राज्य के विषयांकित सेवा के पदाधिकारीगण द्वारा अपना वार्षिक स्वास्थ्य जाँच, राज्य के सभी निकटतम मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/इंदिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में एवं वैसे किसी भी निकटतम सी0जी0एच0 एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी चिकित्सा संस्थान /निजी चिकित्सा संस्थान/केन्द्र में कराई जा सकती हैं, जहाँ विषयांकित जाँच की सुविधाएँ हैं।

2. राज्य के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए उपर्युक्त विषयांकित सेवा के पदाधिकारीगण को इस जाँच में कम समय लगे तथा असुविधा नहीं हो, के लिए निम्नांकित व्यवस्था की गई है:-

(क) पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच के लिए निकटतम मेडिकल कॉलेज अस्पताल / इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना जाने के पूर्व संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालय के द्वारा निम्नांकित सम्पर्क पदाधिकारियों को पूर्व सूचना दी जा सकती है, ताकि वे इसकी समुचित व्यवस्था कर सकें :-

सम्पर्क पदाधिकारी का पदनाम	संस्थान का नाम	दूरभाष संख्या
अधीक्षक	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	9470003549
अधीक्षक	नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	9470003568
अधीक्षक	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	9470003487

अधीक्षक	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	9470003252
अधीक्षक	अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	9470003301
अधीक्षक	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	9470003121
जन संपर्क पदाधिकारी	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना	9473191845

(ख) विभिन्न सदर अस्पतालों में जाँच कराने के लिए संबंधित सिविल सर्जन को इसकी सूचना देकर समय निर्धारित कराया जा सकता है।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं० - 4478 दिनांक - 18.03.2013 में निहित निर्देश के अनुसार चिकित्सीय जाँच का पैकज दर निम्न प्रकार है:-

- (i) पुरुषों के लिए - ₹0 2000
(ii) महिलाओं के लिये - ₹0 2200

(घ) किसी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक्स-रे चेस्ट, ultra sound (abdomen) तथा ई0सी0जी0 की जाँच करायी जा सकती है।

(ङ) पूरे पैकेज के लिए इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, को पुरुषों के लिये ₹0 2000/- (दो हजार) एवं महिलाओं के लिये ₹0 2200/- (दो हजार दो सौ) देय होंगे। इसके लिए अधीक्षक, /जन संपर्क पदाधिकारी / इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

(च) कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ फार्म - 4 (Performa for health) medical authority के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। इसके लिए सभी सिविल सर्जन तथा निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा एवं सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक अधिकृत होंगे। सुविधा के ख्याल से बेहतर व्यवस्था यह होगी कि इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा पहले पैथोलॉजिकल जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर लिया जाए, तत्पश्चात ही वे एक्स-रे चेस्ट, ultra sound (abdomen) ई0सी0जी0 की जाँच हेतु किसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अथवा इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जायें और पैथोलॉजिकल जाँच रिपोर्ट की प्रति भी वहाँ दें, ताकि संबंधित सम्पर्क पदाधिकारी उसे प्राधिकृत पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर वापस कर सकें।

12/3/2020
(संजय कुमार)

बिहार सरकार

सरकार के प्रधान सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापक-6/विधि-01/2009-सा.प्र.- 3374/पटना-15, दिनांक- 4-3-2020

प्रतिलिपि :- बिहार राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित है कि वे इस पत्र को विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करेंगे।

3.3.2020
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव